<u>LEGISLATIVE ASSEMBLY</u> NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Bulletin Part-I

(Brief summary of proceedings)

Thursday, 31 March, 2016/11 Chaitra, 1938 (Saka)

No. 31 02.03 PM

Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair

1. 2.03 P.M. Sh. Vijender Gupta, Leader of Opposition sought to know about the fate of the Notice of Calling Attention given by him under Rule-54.

The Chair stated that the subject of the Notice was similar to the Notice under Rule-280 given by him which has already been listed today and hence he was not admitting the Notice for Calling Attention.

- 2. 2.04 P.M. **Question Hour**: Starred questions no. 41 to 49, 51, 52, 53 & 55 to 57 were asked and replied to. Replies to starred questions no. 50, 54 & 58 to 60 and to unstarred questions no. 120 to 185 were placed on the table.
- 3. 3.05 P.M. Special Mention(Rule-280):-

The following Members raised matters under Rule-280 with the permission of the Chair:-

- 1. Sh. Shri Dutt Sharma
- 2. Sh. Vijender Gupta (Dy. Chief Minister intervened)
- 3. Sh. Vishesh Ravi
- 4. Sh. Akhilesh Pati Tripathi
- 5. Sh. Jarnail Singh (Tilak Nagar)
- 6. Sh. Jagdish Pradhan (Minister of Tourism intervened)
- 7. Sh. Rajender Pal Gautam
- 8. Sh. Manoj Kumar
- 9. Sh. Naresh Yadav
- 10. Sh. Pawan Kumar Sharma
- 4. 3.55 P.M. The Chair adjourned the House for 30 Minutes for tea-break.
- 5. 4.33 P.M. House reassembled.

Hon'ble Speaker in-chair.

6. 4.34 P.M. Papers laid on the Table:

Sh. Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister laid the copies of the following on the Table of the House:

- I. Appropriation and Finance Accounts for the year 2014-2015.
- II. Report of the Comptroller & Auditor General of India for the year ended 31 March 2015.
- 7. 4.35 P.M. **Motion under Rule-107:**

Ms. Bhavna Gaur moved the following Motion under Rule-107 with the leave of the House:

"In pursuance to the recommendation made by the Committee on Ethics in its second report tabled in this House on 30 March, 2016 this House agrees to expel Sh. Om Prakash Sharma from the Membership of the Legislative Assembly of NCT of Delhi with immediate effect."

- 8. 4.42 P.M. Sh. Vijender Gupta, Leader of Opposition questioned the propriety of the aforesaid Motion and walked out of the House in protest alongwith other Members of Bhartiya Janta Party.
- 9. 4.43 P.M. The following Members participated in the debate:
 - 1. Ms. Sarita Singh
 - 2. Sh. Nitin Tyagi
 - 3. Sh. Amanatullah Khan
 - 4. Sh. Somnath Bharti
 - 5. Sh. Jarnail Singh (Tilak Nagar)
 - 6. Ms. Rakhi Birla

- 10. 5.05 P.M. Sh. Arvind Kejriwal, Hon'ble Chief Minister during his speech requested the Members to pardon Sh. Om Prakash Sharma if he apologised to Ms. Alka Lamba and the House and agreed to not to resort to such misconduct in future.
- 11. 5.09 P.M. Sh. Vijender Gupta, Leader of Opposition came back into the House and expressed his views on the Motion under consideration.
- 12. 5.52 P.M. Smt. Bandana Kumari, Hon'ble Dy. Speaker in-chair.
- 13. 5.54 P.M. Sh. Om Prakash Sharma, Hon'ble Member of Bhartiya Janta Party while justifying his utterances in the House on 24 November 2015, expressed his regrets.
- 14. 5.55 P.M. Hon'ble Speaker in-Chair
 - Sh. Om Prakash Sharma concluded his speech.
- 15. 5.59 P.M. Sh. Manish Sisodia, Deputy Chief Minister also expressed his views and requested Sh. Om Prakash Sharma to apologize to the House and also assure that he will not repeat such misbehaviour.

Sh. Om Prakash Sharma walked out.

Deputy Chief Minister proposed that Sh. Om Prakash Sharma be suspended for the next two sessions of the Legislative Assembly.

- 16. 6.06 P.M. The House agreed to extend the sitting for 30 Minutes.
- 17. 6.07 P.M. Ms. Bhavna Gaur moved the following amendment in the Motion under Rule-107: "Keeping in view the sentiments expressed by the Members in the House and magnanimity and forgiveness displayed by Hon'ble Chief Minister; Giving equal respect to all the Members of the House and upholding the dignity of the House;

With the hope that Sh. Om Prakash Sharma will not resort to such behaviour in future;

Taking a lenient view, this House agrees to suspend Sh. Om Prakash Sharma from the service of the House for the next two sessions."

The Motion was adopted by voice-vote.

- 18. 6.09 P.M. Adoption of Reports:
 - I. Narayan Dutt Sharma, Hon'ble Member moved the following Motion: "Keeping in view the sentiments expressed by the Hon'ble Members, this House agrees with the second report of the Ethics Committee tabled in this House on 30.03.2016 except for the last three lines of the Report."

 The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.
- 19. 6.10 P.M. II. Shri Somnath Bharti, Hon'ble Member moved the following Motion:

 "This House agrees with the **Third Report** of the **Committee on Privileges** presented on 30 March 2016."

 Sh. Vijender Gupta, Leader of Opposition questioned the propriety of the aforesaid report and walked out of the House in protest.

The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.

20. 6.17 P.M. Calling Attention (Rule-54):-

Sh. Jitender Singh Tomar called the attention of the House towards construction of under-bridge at Rampura railway crossing. Hon'ble Deputy Chief Minister replied to the Calling Attention.

- 21. 6.24 P.M. The Chair expressed thanks to the Chief Minister, Deputy Chief Minister, Leader of Opposition, all the Members of the House and others for their co-operation in smooth conduct of the Session.
- 22. 6.25 P.M. National Anthem Jan-Gan-Man
 The Chair adjourned the House sine-die.

Delhi 31 March, 2016 Prasanna Kumar Suryadevara Secretary

विधान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली समाचार भाग—1 कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख वीरवार, 31 मार्च, 2016 / चैत्र 11, 1938 (शक)

		वीरवार, 31 मार्च, 2016 / चैत्र 11, 1938 (शक)
संख्या-	31	
2.03 बजे		श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।
1	2.03 बजे	श्री विजेन्द्र गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष ने नियम-54 के अंतर्गत उनके द्वारा दी गई सूचना के बारे में
		जानना चाहा। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उक्त सूचना का विषय उनके द्वारा नियम—280 के अंतर्गत दी गई सूचना जैसा ही है जो कि पहले से ही आज सूचीबद्ध है। अतः वे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
2	2.04 बजे	प्रश्नकाल : तारांकित प्रश्न सं0 41 से 49, 51, 52, 53 एवं 55 से 57 पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। तारांकित प्रश्न सं0 50, 54 एवं 58 से 60 तथा अतारांकित प्रश्न सं0 120 से 185 के उत्तर सदन पटल पर रखे गये।
3	3.05 बजे	विशेष उल्लेख (नियम—280): निम्नलिखित सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय की अनुमित से नियम—280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाये:— 1. श्री श्रीदत्त शर्मा 2. श्री विजेन्द्र गुप्ता (उप मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया) 3. श्री विशेष रिव 4. श्री अखिलेशपित त्रिपाठी 5. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर) 6. श्री जगदीश प्रधान (पर्यटन मंत्री ने हस्तक्षेप किया) 7. श्री राजेन्द्र पाल गौतम 8. श्री मनोज कुमार 9. श्री नरेश यादव
		10. श्री पवन कुमार शर्मा
4	3.55 बजे	सदन की कार्यवाही जलपान अवकाश हेतु 30 मिनट तक के लिए स्थगित की गई।
5	4.33 बजे	सदन पुनः समवेत हुआ। अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
6	4.34 बजे	सदन पटल पर प्रस्तुत कांगजात : श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत की : 1. वर्ष 2014—15 हेतु विनियोजन और वित्त लेखे 2. 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन
7	4.35 बजे	नियम—107 के अंतर्गत प्रस्ताव : सुश्री भावना गौड़ ने नियम—107 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया : "इस सदन में दिनांक 30 मार्च, 2016 को प्रस्तुत आचरण समिति के द्वितीय प्रतिवेदन की सिफारिश के अनुसरण में, यह सदन, श्री ओम प्रकाश शर्मा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधानसभा की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निष्कासित करने पर सहमत है।"
8	4.42 बजे	श्री विजेन्द्र गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष ने उक्त प्रस्ताव के औचित्य का प्रश्न उठाया तथा विरोधस्वरूप भारतीय जनता पार्टी के अन्य सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन किया।
9	4.43 बजे	निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :— 1. सुश्री सरिता सिंह 2. श्री नितिन त्यागी 3. श्री अमानातुल्ला खान् 4. श्री सोमनाथ भारती

5. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)

6. सुश्री राखी बिडला

10	5.05 बजे	श्री अरविंद केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा सदस्यों से अनुरोध किया कि यदि श्री ओम प्रकाश शर्मा, सुश्री अलका लाम्बा तथा सदन से माफी मांगे तथा भविष्य में इस प्रकार के कदाचार की पुनरावृति न करने पर सहमत हों तो उन्हें माफ कर दिया जाये।
11	5.09 बजे	श्री विजेन्द्र गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष सदन में वापस आये तथा विचाराधीन प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किये।
12	5.52 बजे	श्रीमती बंदना कुमारी, माननीया उपाध्यक्ष पीठासीन हुई।
13	5.54 बजे	श्री ओम प्रकाश शर्मा, माननीय सदस्य, भारतीय जनता पार्टी ने 24 नवम्बर 2015 के अपने कथन को न्यायोचित्त ठहराते हुए खेद व्यक्त किया।
14	5.55 बजे	माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए। श्री ओम प्रकाश शर्मा ने अपना वक्तव्य समाप्त किया।
15	5.59 बजे	श्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री ने भी अपने विचार व्यक्त किये तथा श्री ओम प्रकाश शर्मा से अनुरोध किया कि वे सदन से माफी मांग लें तथा इस प्रकार के कदाचार की पुनरावृति न करने के प्रति भी आश्वस्त करें। श्री ओम प्रकाश शर्मा ने बहिर्गमन किया। उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि श्री ओम प्रकाश शर्मा को विधान सभा के अगले दो सत्रों के लिए निष्कासित कर दिया जाए।
16	6.06 बजे	बैठक 30 मिनट बढ़ाने पर सदन सहमत हुआ।
17	6.07 बजे	नियम—107 के अंतर्गत प्रस्ताव : सुश्री भावना गौड़ ने नियम—107 के प्रस्ताव में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया : "सदस्यों द्वारा सदन में व्यक्त की गई भावनाओं के दृष्टिगत तथा इस आशा के साथ कि श्री ओम प्रकाश शर्मा भविष्य में इस तरह के कदाचार की पुनरावृति नहीं करेंगे, इस संबंध में लचीला रूख अपनाते हुए, यह सदन उन्हें सदन से अगले दो सत्रों के लिए निलम्बित करने पर सहमत है।"
18	6.09 बजे	संशोधित प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनि मत से स्वीकार हुआ। प्रतिवेदनों पर सहमति :
10	0.03 40	I. श्री नारायण दत्त शर्मा ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :
		"माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं के दृष्टिगत, यह सदन दिनांक 30 मार्च, 2016 को सदन में प्रस्तुत आचरण समिति के द्वितीय प्रतिवेदन की अंतिम तीन पंक्तियों को छोड़कर, उक्त प्रतिवेदन से सहमत है।"
19	6.10 बजे	II.श्री सोमनाथ भारती ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :
		"यह सदन दिनांक 30 मार्च, 2016 को सदन में प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है।" श्री विजेन्द्र गुप्ता ने उक्त प्रतिवेदन के औचित्य का प्रश्न उठाया और विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन किया।
20	6.17 बजे	प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनि मत से स्वीकार हुआ। ध्यानाकर्षण (नियम–54):
		श्री जितेन्द्र सिंह तोमर, माननीय सदस्य ने रामपुरा रेलवे कासिंग पर अंडर ब्रिज के निर्माण के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित किया। माननीय उप मुख्यमंत्री ने ध्यानाकर्षण पर उत्तर दिया।
21	6.24 बजे	अध्यक्ष महोदय ने सत्र के दौरान सुचारू संचालन में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सदन के सभी सदस्यों तथा अन्य अधिकारियों / संस्थाओं का आभार व्यक्त किया।
22	6.25 बजे	राष्ट्र गान-जन-गण-मन।
दिल्ली		सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
31 मार्च	i, 2016	सचिव